न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 63/2022 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2022/81**

1. तुलसीराम पुत्र स्व. मोडाराम जाति माली निवासी पंवारसर कुए के पास हाल आबाद सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. जिला कलक्टर, बीकानेर।
2. गिरधर पुत्र ओमप्रकाश जाति माली निवासी सुजानदेसर, बीकानेर।

– रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः श्री बृजेश मदान अभिभाषक अपीलांट्स
श्री विनोद पुरोहित अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2

निर्णय

दिनांक 09.01.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर के निर्णय दिनांक 11.10.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादगत भूमि तहसील कोलायत में खसरा नंबर 79/3 रकबा 2 बीघा एवं खसरा नंबर 79/4 रकबा 3 बीघा कुल 5 बीघा कृषि भूमि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की सहहिस्सेदार के नाम से संयुक्त रूप से चली आ रही थी। अपीलांट ने उक्त कृषि भूमि पर ईंट भट्टा लगाने के प्रयोजनार्थ उक्त कृषि भूमि का रूपांतरण क्रमांक 900 दिनांक 27.02.2001 द्वारा भू–रूपांतरण करवाया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर में एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त कृषि भूमि अविभाजित संयुक्त है जिसका विभाजन कराये बिना संपरिवर्तन नहीं किया जा सकता है इसलिए उक्त संपरिवर्तन आदेश को निरस्त फरमाया जावें। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर ने प्रकरण में उक्त भूमि के संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 900 दिनांक 27.02.2001 को विड्रा कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर के उक्त आदेश दिनांक 27.02.2001 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है अपीलांट ने उक्त कृषि भूमि पर ईंट भट्टा लगाने के प्रयोजनार्थ उक्त कृषि भूमि का रूपांतरण क्रमांक 900 दिनांक 27.02.2001 द्वारा भू–रूपांतरण करवाया था। अपीलांट का सहहिस्सेदार गिरधर रेस्पोडेन्ट

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

संख्या 2 नाबालिग था तथा नाबालिब होने के कारण गिरधर के पिता ओमप्रकाश ने प्राकृतिक संरक्षक होने के नाते गिरधर की और से शपथ पत्र प्रस्तुत करके उक्त भूमि उक्त भूमि पर भूरूपांतरण पर आपति नही होने का दिया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अपीलांट के हक में ईट भट्टा के लिए उक्त कृषि भूमि को संपरिवर्तन कर दिया जिसकी नियमानुसार राशि अपीलांट रेस्पोडेन्ट को जमा करवाई और सन्2001 से अपीलांट उक्त कृषि भूमि पर नियमों व शर्तों के तहत ईट भटटे का व्यवसाय कर रहा है। जिससे अपीलांट एवं अपीलांट के परिवार का पालन–पोषण हो रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार फरमा कर इकतरफा सुनवाई करते हुए अपीलांट के हक में दिये गये संपरिवर्तन आदेश को दिनांक 11.10.2019 को निरस्त फरमा दिया। अधीनस्थ न्यायालय को नोटिस अपीलांट को कभी प्राप्त नही हुआ ना ही अपीलांट के हम में जारी किये गए नोटिस के पते पर अपीलांट रहता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अधिनस्थ न्यायालय को गुमराह कर गलत पते के आधार पर नोटिस जारी करवाये जो आज तक अपीलांट को प्राप्त नही हुए। सन 2001 में संपरिवर्तन आदेश होने के पश्चात रेस्पोडेन्ट सं. 2 के पिता ओमप्रकाश को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हितों को देखते हुए तथा उसकी विधिक आवश्यकताओं को देखते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के उक्त कृषि भूमि में 1/2 हिस्से की बेचवानी दिनांक 12.04.2001 को अपीलांट के पक्ष में कर दी थी इस प्रकार उक्त कृषि भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का हिस्सा अपीलांट के पक्ष में विक्रय होने के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का किसी प्रकार का कोई हक स्वत्व एवं टाइटल नहीं रहा है। अपीलांट ही उक्त कृषि भूमि का एकमात्र व काबिज हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व अपीलांट रिश्ते में भाई लगता है तथा इसी विश्वास में नाते अपीलांट का रिश्ते में भाई लगता है तथा इसी विश्वास के नाते अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता ओमप्रकाश पर विश्वास करते हुए इंतकाल की कार्यवाही नहीं की। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को भली भांति जानकारी थी कि उक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हिस्से को कानूनी तौर पर अपीलांट के पक्ष में विक्रय किया जा चुका हैं। इस सब तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 पे अधिनस्थ न्यायालय में सही तथ्यों को छुपाकर अपीलांट को संपरिवर्तन आदेश निरस्त करवाया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 11.10.2019 कार्यालय जिला कलक्टर बीकानेर क्रमांक एफ–12–3()राजस्व/99/ जिसके तहत अपीलांट का संपरिवर्तन आदेश निरस्त किया गया है, को अपास्त किया जावे तथा पूर्व स्थिति बहाल कराई जावें।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदत जैर अपील आदेश अपील अपीलांट को नोटिस देकर ही प्रदत किया गया है, अपीलांट को आदेश जैर अपील प्रदत किये जाने की जानकारी थी,

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को नोटिस जारी कर उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा अवसर प्रदान किया था, इसके बावजूद भी अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मं उपस्थित नहीं हुआ। अपील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.10.2019 को प्रदत किया गया है जिसकी अपील अपीलांट द्वारा 06.06.2022 को प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियाद बारह होने से खारिज योग्य हैं। इस बिन्दु पर नजीरात आरआरडी 1964 पेज 338 बी, आरएलडब्ल्यू (आरजे)(2) 2006 पेज नंबर 873 डीबी प्रस्तुत किये। अपीलांट ने प्रार्थना–पत्र में अंकित किया है कि अपीलांट दिनांक 24.05.2022 को तहसीलदार राजस्व कोलायत द्वारा जारी नोटिस से हुई। अपीलांट द्वारा 25.05.2022 को अधिनस्थ न्यायालय जाकर पत्रावली का निरीक्षण किया तो अपीलांट को समपरिवर्तन आदेश की जानकारी हुई इससे पूर्व इसे जानकारी नही थी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र वगे व अस्पष्ट है अपीलांट द्वारा सम्पूर्ण तथ्य मियाद बारह अपील अन्दर मियाद शुमार करने के लिए लिखे है इनमें कोई सत्यता नही है। उक्त तथ्य संतोषप्रद कारण की परिभाषा में नही आता है जहां पर मियाद कंडान करने के लिए संतोषपद कारण नही हो वहां पर अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज कर देनी चाहिए। इस बिन्दु पर नजीरात आरआरडी 1955 पेज 252(आरबी), डीएनजे 1999 पेज नंबर 56, आरआरडी 1980 एनयूसी 20, आरआरटी 2004(2) पेज 1219, आरआरटी 2004(1) पेज 576, आरआरटी 2014(1) पेज 154, आरआरटी 2011 (1) पेज 614, आरआरटी 2007(2) पेज 939, आरबीजे (7) 2000 पेज 470, आरबीजे 2000 पेज 71, एआईआर 1998 एस.सी. पेज 2276 पेरा 6, आरआरटी 2006(2) पेज 1171 एवं आरआरडी 1995 पेज 456 प्रस्तुत किये। अपील अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र में झूठे तथ्य अंकित किये है कि अपीलांट को आदेश जैर अपील की जानकारी नही रही। ऐसी झूठी कहानी के आधार पर मियाद कंडाम नही की जा सकती है तो इसके खिलाफ न्यायालय का एफ.आई.आर दर्ज करवानी चाहिए। इस बिन्दु पर नजीरात आरवीजे 2005 पेज 132, आरआरडी 1994 पेज 697बी, प्रस्तुत कियें। कानूनन मियाद वाहर प्रस्तुत अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जानी चाहिए। मियाद को केवल इस आधार पर कंडान नही करना चाहिए कि उसे मरिट पर निर्णित किया जा सकें। इस विन्दु पर नजीरात आरआरडी 1991 पेज 164 प्रस्तुत किये। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का आराजी जैर अपील में आधा हिस्सा है तथा शेष आधा हिस्सा अपीलांट का है। रेस्पोडेन्ट नं 2 जव नावालिग था, तव रेस्पोडेन्ट नं2 के प्राकृतिक पिता ने अपीलांट जो रिश्ते में रेस्पोडेन्ट नं. 2 का सगा चाचा लगता है के पक्ष में आराजी जैर अपील की किस्म परिवर्तन करने में अपनी सहमति दी थी। रेस्पोडेन्ट नं2 के बालीग होने के बाद जब इस गैरकानूनी सहमति की जानकारी हुई तो रेस्पोडेन्ट नं2 ने अपनी सहमति जो दौराने नावालिग रेस्पोडेन्ट नं 2 के प्राकृतिक पिता ने दी थी को विड्रो किये जाने का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रदत किया है। माईनिग परमिट के विना कई वर्षों से गैरकानूनी

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

खनन कार्य किया जा रहा है। आराजी जैर अपील कृषि भूमि है, लेकिन अपीलांट ने आराजी जैर अपील में ईन्ट बनाने हेतु गैरकानूनी तरीके से मिट्टी खोदकर अपील के पैरा संख्या 5 में अंकित कृषि भूमि पर निरंतर ईन्ट बनाकर उसे बेच कर लाखों रूपये कमा रहा है। अपीलांट का उक्त कृत्य राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 90 ए सहपठित धारा 91 के विरूद्ध होने से तुरंत प्रभाव से ईंट भट्टे की भूमि तथा आराजी जैर अपील कुर्क किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट उपरोक्त तथ्य व नजीरों की रोशनी में अपील मियाद बाहर होने से एवं अपनी मैरिट लैस होने के कारण अपील खारिज फरमाई जावें।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा—5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से यह न्यायालय संतोष्ट नहीं है। उक्त प्रकरण में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 रिश्तेदार है। एक ही परिवार के रिश्तेदार को परिवार के संबंध में सभी प्रकार की जानकारी होती है। अपीलांट का कथन है कि उसे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 11.10.2019 की जानकारी दिनांक 24.05.2022 तक नहीं थी, कतई सत्य प्रतीत नहीं होता हैं। अपील अपीलांट मियाद बाहर प्रस्तुत की गई थी जिसकी मियाद कंडोन करना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.10.2019 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझतें है। अतः अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.10.2019 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 09.01.2026 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर